पत्रांक : 05(बेल्ट्रॉन)–36 / 2015 सू०प्रा०................

बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग
संकल्प

पटना, दिनांक ....

विषयः– बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि0 को राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गये असुरक्षित ऋण एवं सूद की कुल राशि ₹ 31,55,49,855.00 (एकतीस करोड़ पचपन लाख उनचास हजार आठ सौ पचपन) मात्र में से ₹ 19,34,49,900.00 (उनीस करोड़ चौतीस लाख उनचास हजार नौ सौ) मात्र को Equity में convert करने एवं शेष राशि ₹ 12,20,99,955.00 (बारह करोड़ बीस लाख निन्यानवे हजार नौ सौ पचपन) को आई०आई०आई०टी० की स्थापना पर वहन किए जाने के संबंध में।

[Out of total amount of ₹ 31,55,49,855.00 (Rupees Thirty one Crore Fifty Five Lac Forty Nine Thousand Eight Hundred Fifty Five) of the unsecured loan inclusive of the accumulated interest given to the Bihar State Electronics Development Corporation Ltd. by the state government, the proposal to convert ₹ 19,34,49,900.00 (Rupees Nineteen Crore Thirty Four Lac Forty Nine Thousands Nine Hundred) in to equity and utilisation of rest amount of ₹ 12,20,99,955.00 (Rupees Twelve Crore Twenty Lac Ninety Nine Thousand Nine Hundred Fifty Five) in establishment of IIIT.]

बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि0 की स्थापना उद्योग विभाग के अंतर्गत राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 1978 में की गई थी। निगम लगभग पच्चीस वर्षों तक इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं यथा–टी0भी0, माईनिंग सेफ्टी इक्यूपमेंट, इंटरकॉम आदि का उत्पादन कार्य करती रही है, किन्तु बाजारू स्पर्धा में पिछड़ जाने एवं बदले समाजिक परिवेश के कारण निगम अपने उत्पाद इकाईयों को काफी समय तक चलाने में सक्षम नहीं रहा। फलस्वरूप वर्ष 2003 में राज्य सरकार को निगम के परिसमापन का निर्णय लेना पड़ा।

2. कालान्तर में नवगठित सूचना प्रावैधिकी विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के द्वारा सूचना प्रावैधिकी से संबंधित केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न आई0टी0 परियोजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयण किया गया। फलस्वरूप लगातार पाँच वर्षों तक लाभ अर्जित करने के पश्चात् राज्य सरकार के द्वारा निगम के परिसमापन संबंधी निर्णय को वर्ष 2014 में वापस लिया गया।

3. निगम के स्थापना वर्ष से लेकर वर्ष 2009 तक लगातार घाटे की स्थिति के कारण राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त असुरक्षित ऋण के रूप में प्रदत्त मूल ₹ 5,99,90,898.00 (पाँच करोड़ निन्यानवे लाख नब्बे हजार आठ सौ अन्ठानवे) एवं उस पर सूद का भुगतान सरकार को नहीं किया जा सका। राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गए ऋण एवं सूद की कुल राशि रू0 31,55,49,855.00 (एकतीस करोड़ पचपन लाख उनचास हजार आठ सौ पचपन) है। निगम की अधिकृत पूंजी 25 करोड़ है तथा चुकता पूंजी रू0 5,65,50,100.00 (पाँच करोड़ पैसठ लाख पचास हजार एक सौ) मात्र है।

4. राज्य सरकार के द्वारा बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि0 को राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गये असुरक्षित ऋण एवं सूद की कुल राशि ₹ 31,55,49,855.00 (एकतीस करोड़ पचपन लाख उनचास हजार आठ सौ पचपन) मात्र में से ₹ 19,34,49,900.00 (उनीस करोड़ चौतीस लाख उनचास हजार नौ सौ) मात्र को Equity में convert करने एवं शेष राशि ₹ 12,20,99,955.00 (बारह करोड़ बीस लाख निनयानवे हजार नौ सौ पचपन) को आई०आई०आई०टी० की स्थापना पर वहन किए जाने का निर्णय लिया गया है।

क्रमशः 2/

5. उक्त संकल्प को दिनांक–17.01.2017 को मद संख्या–21 के रूप में मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

<u>आदेश</u> :– *आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी/अनुमंडलाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।*

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
(राहुल सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 05(बेल्ट्रॉन)–36/2015 सू०प्रा०................ पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 05(बेल्ट्रॉन)–36/2015 सू०प्रा०................ पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव/विकाय आयुक्त, बिहार/राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ उप–मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/वित्त मंत्री के आप्त सचिव/मंत्री, सू०प्रा०विभाग के आप्त सचिव/सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/लोकायुक्त के सचिव/ निबंधक, उच्च न्ययालय, पटना/ सचिव, राज्य सूचना आयोग/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 05(बेल्ट्रॉन)–36/2015 सू०प्रा०................ पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपि : (अनुलग्नक–सी०डी० सहित) उप सचिव (ई–गजट) वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं गजट में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 05(बेल्ट्रॉन)–36/2015 सू०प्रा० 122 पटना, दिनांक 24–01–17

प्रतिलिपि : आई०टी० प्रबन्धक, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
आपको निदेश दिया जाता है कि इसे सूचना प्रावैधिकी विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया जाय।

सरकार के सचिव